भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या5105
जिसका उत्तर 02अप्रैल, 2025 को दिया जाना है ।
12चैत्र, 1947 (शक)

आधार सुशासन पोर्टल

5105.श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्रीमती अपराजिता सारंगी :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनहितकारी सेवाएं प्रदान करने वाली सरकारी और निजी दोनों प्रकार की संस्थाओं के लिए निर्बाध तरीके से आधार-संख्या प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) इस पोर्टल से सेवा परिदान के उद्देश्य से आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने में स्वास्थ्य देखभाल, ई-कॉमर्स और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में व्यवसायों और संस्थानों की किस प्रकार सहायता होने की संभावना है;

(ग) आधार सुशासनपोर्टल वैयक्तिक पहचान का कुशलतापूर्वक सत्यापन करने और डिजिटल लेन-देन में विश्वास बढ़ाने में सेवाप्रदाताओं की किस प्रकार से सहायता करता है; और

(घ) गैर-सरकारी संस्थाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण का दायरा बढ़ाते समय इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): आधार विश्व की सबसे बड़ी बायोमीट्रिक पहचान प्रणाली है जिसमें 133 करोड़ से अधिक व्यक्ति शामिल हैं और इसके तहत 13,000 करोड़ से अधिक अधिप्रमाणन लेन-देन पूरे कर लिए हैं।

आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत प्रत्येक प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिदेशित किया गया है कि प्रमाणीकरण के दौरान एकत्र की गई आधार संख्या धारकों की पहचान संबंधी जानकारी और प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान सामने आई किसी भी अन्य जानकारी को गोपनीय, सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी अधिनियम और दिशा-निर्देशों में निवासियों को सार्वजनिक और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के साथ निवासियों के डेटा के संरक्षण और गोपनीयता के संरक्षण के लिए उपायों का प्रावधान है।

सरकार ने हाल ही में जनहित सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण सुविधा प्रदान करने के लिए सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के लिए आधार प्रमाणीकरण में संशोधन किया है। इस संशोधन का उद्देश्य ऐसी संस्थाओं द्वारा छूट, लाभ और सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाना है। सरकार ने ऐसी संस्थाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल (https://swik.meity.gov.in) भी विकसित किया है।

******